

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांकC14494...../

जबलपुर, दिनांक 01/07/2025

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, को आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक के पद पर 7वें वेतनमान में लेवल 4 पे मेट्रीक्स 19500-62000 (रूपये 5200-20200 + ग्रेड पे 1900/-छठवें वेतनमान) में नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्नांकित शर्तों पर अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर की स्थापना पर पदोन्नत किया जाता है :-

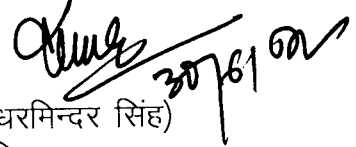
क्रमांक	नाम	पदोन्नत पद	टीप
1	2	3	4
1.	श्री रेनू मांझी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (हेड माली)	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक	रिक्त पद पर
2.	श्री ललित कुमार, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (खलासी)	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक	रिक्त पद पर
3.	श्री दिलीप रजक, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (पम्प अटेंडेंट)	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक	रिक्त पद पर
4.	श्री धनंजय सिंह, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (माली)	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक	रिक्त पद पर

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
3. यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
4. यह कि, उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त कर दी जावेंगी।
5. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के अग्रिम अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
6. यह कि, उनकी पदोन्नति इस उपबंध के साथ की जाती है कि वे किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र का व्यय उन्हें स्वयं उठाना होगा।

//2//

7. यह कि, कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें मुख्यपीठ जबलपुर/खंडपीठ इंदौर की स्थापना पर सेवा करने हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा।
8. यह कि, जब भी उन्हें माननीय न्यायाधिपतिगण, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय या उनके निवास स्थान पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने अथवा उनके साथ मुख्यालय से बाहर दौरे पर जाने के निर्देश होंगे उनको तत्परता से पालन करना होगा।
9. यह कि, किसी भी अवकाश या सार्वजनिक अवकाश पर माननीय न्यायाधिपतिगण, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार अथवा अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित होने के निर्देशों का तत्काल पालन करेंगे।
10. यह कि, उनके प्रभार में सौंपी गयी स्टाफ कार अथवा उच्च न्यायालय के अन्य वाहन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित, साफ-सुथरी या सुरक्षित रखने एवं समय-समय पर वाहन की सर्विसिंग कराने तथा आवश्यकता अनुसार डिस्टिल्ड वाटर बदलने आदि की भी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
11. यह कि, नियमानुसार कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व वाहन चालक का लायसेंस प्रस्तुत करें एवं अपने कर्तव्य के समय लायसेंस अपने पास रखें।
12. यह कि, उन्हें घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे अपने कर्तव्य के समय किसी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे।
13. कर्मचारी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे, वे भी उसे मान्य होंगे।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार,



(धरमिन्दर सिंह)

रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक ०१/०४/२०२५

पृष्ठांकन क्रमांक C-14495 /

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन सिटी सेन्टर, ग्वालियर(म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.) / न्यायिक 1 एवं 2 / डी.ई. / ई / आई.एल. / एकजाम एण्ड लेबर ज्यूडिशरी / सतर्कता, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
5. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. डिप्टी रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्या.),स्था./लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटो., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 9. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफीसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 10. श्री रेनू मांझी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (हेड माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
 11. श्री ललित कुमार, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (खलासी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
 12. श्री दिलीप रजक, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (पम्प अटेंडेन्ट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
 13. श्री धनंजय सिंह, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

